मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

■ निर्भीक राजस्थान

नई दिल्ली/करौली, 03 जून। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं। 1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए चुनाव संचालन नियम, नियम 49 के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17ब् को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालाँकि, वोटर टर्नआउट (टज्त) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया क् जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुन: संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले म्ब्छम्ज् ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा, बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे। यह उन्नत टज्त् ऐप बिहार चुनावों से पहले अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर टज्त् ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझन अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

खबरों की दुनिया

टोंक। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए चुनाव संचालन नियम,

नियम 49 एस के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 सी को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा।

हालाँकि, वोटर टर्नआउट ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझानों की समय पर जानकारी दी जा सके।

इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआइ नेट ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

पत्रिका

मतदान प्रतिशत, रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने की पहल

तुरंत मिलेंगे मतदान के बाद के आंकड़े, नहीं करना होगा इंतजार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

बारां. भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए "चुनाव संचालन नियम", नियम 49 के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा।

हालांकि, वोटर टर्नआउट ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया कृ जो अब तक एक सहायक, गैर-

वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी। को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईनेट ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा। बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहां मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहां आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईनेट का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुंचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

बारां, 03 जून (हाड़ौती संचार)।

भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए फ्रचुनाव संचालन नियमफ्र, नियम 49 के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालांकि, वोटर टर्नआउट ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया कृ जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी। को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुन: संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईनेट ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा। बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसी आईनेट का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग

अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

नई दिल्ली/श्रीगंगानगर।

भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए 'चुनाव संचालन नियम', नियम 49एस के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 सी को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा।

हालाँकि, वोटर टर्नआउट(वीटीआर) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया- जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी - को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुन: संरचित किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके।

इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा- बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईएनईटी का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

नई दिल्ली/श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं। 1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए 'चुनाव संचालन नियम', नियम 49एस के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 सी को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालाँकि, वोटर टर्नआउट(वीटीआर) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया- जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी - को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा- बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहां मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे। यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईएनईटी का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझन अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुंचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

नई दिल्ली/श्रीगंगानगर। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए 'चुनाव संचालन नियम', नियम 49एस के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 सी को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा।

हालाँकि, वोटर टर्नआउट(वीटीआर) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया- जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी - को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है

ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके।

इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा- बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफलाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईएनईटी का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर वीटीआर ऐप पर अपलोड की जाती थी।

मतदान प्रतिशत के रुझन अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

नई दिल्ली/श्रीगंगानगर, 3 जून। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं। 1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए 'चुनाव संचालन नियम', नियम 49एस के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17 सी को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालाँकि, वोटर टर्नआउट(वीटीआर) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया- जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी - को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुन: संरचित किया जा रहा है ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ईसीआईएनईटी ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ईसीआईएनईटी ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत वीटीआर ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा।

बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफलाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे। यह उन्नत वीटीआर ऐप बिहार चुनावों से पहले ईसीआईएनईटी का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंक? सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाया जाता था।

दैनिक भास्कर
जयपुर 04-06-2025

बदलाव • मतदान प्रतिशत 4-5 घंटे देरी से अपडेट होने से होती थी गफलत

अब वोटिंग के समय हर दो घंटे में ऐप पर अपडेट होगा मतदान का डेटा

नई दिल्ली | चुनाव के दौरान मतदान के आंकड़े जारी होने में देरी से उठने वाले सवालों से निपटने के लिए निर्वाचन अयोग ने नया कदम उठाया है। अब वोटिंग के साथ हर दो घंटे में अनुमानित मतदान प्रतिशत अपडेट होगा। अयोग ने कहा, हर मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी हर दो घंटे में नए ECINET एप्लीकेशन पर सीधे मतदान के आंकड़े अपलोड करेंगे। इससे अनुमानित वोटिंग रुझान ऐप में अपडेट करने में लगने वाला समय घटेगा। नई व्यवस्था इस साल प्रस्तावित बिहार चुनाव से ही लागू हो जाएगी। आयोग ने मंगलवार को कहा, यह कदम पुराने मैन्युअल तरीके की तुलना में अधिक तेज और विश्वसनीय है। हर मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारियों के सीधे ऐप में वोटिंग की जानकारी दर्ज करने से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर अपने आप इकट्ठा हो जाएगी। यह तय समय पर ऐप पर अपडेट हो जाएगी। आयोग ने इसे जनता को समय पर सटीक जानकारी देने की दिशा में प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया है।

चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस के के तहत, पीठासीन अधिकारियों को पोलिंग एजेंटों को कुल मतदान का विवरण देने वाला फॉर्म 17सी देना जरूरी है।

अब तक सेक्टर मजिस्ट्रेट मैनुअल तरीके से जुटाते थे डेटा

अब तक सेक्टर अधिकारियों द्वारा हाथ से लिखकर मतदान डेटा जुटाया जाता था। इसके बाद फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप से से रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) को भेजा जाता था। जानकारी हर दो घंटे में जुटाई जाती थी और वोटर टर्नआउट (वीटीआर) ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान घंटों बाद अपडेट होते थे, जो देर रात या अगले दिन आने वाले लिखित रिकॉर्ड पर आधारित होते थे। इससे 4-5 घंटे या अधिक की देरी होती थी। यही कारण है कि कुछ लोगों में गलतफहमियां पैदा होती थीं।

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

ढोलामारू न्यूज

नागौर।भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए ÷चुनाव संचालन नियम÷, नियम 49ऽ के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी (PrO) मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए

मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17ए को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा।

हालाँकि, वोटर टर्नआउट (VTR) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया – जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी – को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझनों की समय पर जानकारी दी जा सके।

इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (PrO) अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ECINET ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।

महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ECINET ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत VTR ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा – बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत VTR ऐप बिहार चुनावों से पहले ECINET का अभिन्न अंग बन जाएगा।

पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर VTR ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझन अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

प्रातःकालीन हिन्दी दैनिक
मारवाड़ दूत

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए निर्वाचन आयोग की पहल

निजी संवाददाता

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए फ्रचुनाव संचालन नियमफ्र, नियम 49S के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी (क्व्ह) मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17ष्ट को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालांकि, वोटर टर्नआउट (ङ्कञ्क) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया — जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी — को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझानों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (क्व्ह) अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में श्वष्ठ्ठह्वश्च्ञ ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे।महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले श्वष्ठ्ठह्वश्च्ञ ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत ङ्कञ्क ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा — बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।

यह उन्नत ङ्कञ्क ऐप बिहार चुनावों से पहले श्वष्ठ्ठह्वश्च्ञ का अभिन्न अंग बन जाएगा।

पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ऋह्र) तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर ङ्कञ्क ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4ङ्क5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

जयपुर, राजस्थान

@समाचार

जयपुर, बुधवार, 04 जून, 2025

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

(शुभ लहर तरंग नेटवर्क)

जोधपुर। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं।

1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए 'चुनाव संचालन नियम', नियम 49S के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी (PrO) मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17C को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालांकि, वोटर टर्नआउट (VTR) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया – जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी – को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित

रुझानों की समय पर जानकारी दी जा सके।इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (PrO) अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ECINET ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ECINET ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत VTR ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा – बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे।यह उन्नत VTR ऐप बिहार चुनावों से पहले ECINET का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर ड्डक्रऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी।

दैनिक प्रातःकालीन
सच्ची रिपोर्ट
सच्ची खबरों का आईना

मतदान प्रतिशत रिपोर्टिंग प्रक्रिया को उन्नत करने हेतु निर्वाचन आयोग की पहल

रानीवाडा से प्रवीण राठौड की रिपोर्ट।

जालोर। भारत निर्वाचन आयोग अब एक सुव्यवस्थित, प्रौद्योगिकी-आधारित प्रणाली की शुरुआत कर रहा है ताकि मतदान के अनुमानित प्रतिशत रुझानों की समय पर जानकारी प्रदान की जा सके। यह नई प्रक्रिया पूर्व की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों के द्वारा लगने वाली देरी को काफी हद तक कम करती है। यह पहल आयोग की सार्वजनिक संचार को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार विभिन्न अवसरों पर रेखांकित कर चुके हैं। 1961 के निर्वाचन नियमों के तहत बनाए गए "चुनाव संचालन नियम", नियम 49स के अंतर्गत, पीठासीन अधिकारी (PrO) मतदान समाप्ति के समय प्रत्येक मतदान केंद्र पर उपस्थित उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त मतदान एजेंटों को रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा-जोखा प्रदान करने वाले प्रपत्र 17ग को सौंपने के लिए बाध्य हैं, यह वैधानिक प्रावधान यथावत रहेगा। हालाँकि, वोटर टर्नआउट (VTR) ऐप को अपडेट करने की प्रक्रिया – जो अब तक एक सहायक, गैर-वैधानिक प्रणाली के रूप में विकसित हुई थी – को अब तेज और कुशल बनाने के लिए पुनः संरचित किया जा रहा है, ताकि मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझानों की समय पर जानकारी दी जा सके। इस नई पहल के तहत, प्रत्येक मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी (PrO) अब मतदान दिवस पर हर दो घंटे में ECINET ऐप पर सीधे मतदाता उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे आंकड़ों के अद्यतन में देरी को कम किया जा सकेगा। यह जानकारी स्वचालित रूप से निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर एकत्र की जाएगी। मतदान प्रतिशत के अनुमानित रुझान पूर्ववत् हर दो घंटे में प्रकाशित किए जाते रहेंगे। महत्वपूर्ण रूप से, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद, पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र छोड़ने से पहले ECINET ऐप पर आंकड़े दर्ज करेंगे। इससे देरी कम होगी और मतदान के तुरंत बाद निर्वाचन क्षेत्रवार अनुमानित मतदान प्रतिशत VTR ऐप पर उपलब्ध हो सकेगा – बशर्ते नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध हो। जहाँ मोबाइल नेटवर्क अनुपलब्ध हैं, वहाँ आंकड़े ऑफ़लाइन दर्ज किए जा सकेंगे और कनेक्टिविटी मिलते ही सिंक हो जाएंगे। यह उन्नत VTR ऐप बिहार चुनावों से पहले ECINET का अभिन्न अंग बन जाएगा। पूर्व में, मतदान प्रतिशत आंकड़े सेक्टर अधिकारियों द्वारा मैनुअली एकत्र किए जाते थे और उन्हें फोन कॉल, एसएमएस या मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारियों (ROs) तक पहुँचाया जाता था। यह जानकारी हर दो घंटे में एकत्रित कर VTR ऐप पर अपलोड की जाती थी। मतदान प्रतिशत के रुझान अक्सर घंटों बाद अपडेट होते थे, क्योंकि भौतिक रिकॉर्ड देर रात या अगले दिन तक पहुँचते थे, जिससे 4-5 घंटे या उससे अधिक की देरी होती थी और इससे कई बार भ्रम की स्थिति बनती थी। अब इससे निजात मिलेगी